दाण्डिक वाद संख्या–447 / 2025
सरकार बनाम सावेज आदि
CNR No. UPMZ180006242025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुढाना, मुजफ्फरनगर

उपस्थित– राहुल जायसवाल (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
जी०ओ० कोड– यू०पी० 3601

दाण्डिक वाद संख्या–447/2025

अभियोजन पक्ष अधिवक्ता– श्री राहुल कुमार (सहायक अभियोजन अधिकारी)
अभियुक्त के अधिवक्ता– श्री अशोक राठी

सरकार ..... अभियोजन पक्ष

बनाम

1. सावेज पुत्र हामिद
2. हामिद पुत्र रशीद अहमद
3. शहनाज पत्नी हामिद
   समस्त निवासीगण मौ० नियर आलू गोदाम,
   नियर एकता पब्लिक स्कूल, बुढाना रोड,
   थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर ..... अभियुक्तगण

धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना– बुढाना, मुजफ्फरनगर
मु०अ०सं०– 8/2022

निर्णय

दिनांकः 25.03.2026

1. अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज के विरुद्ध थाना बुढाना द्वारा धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. वादिया मुकदमा द्वारा थाना बुढाना पर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि "प्रार्थीया रूकसार पुत्री नफीस निवासी मौ० मण्डी कस्बा बुढाना थाना बुढाना जिला मु०नगर

Digitally signed by RAHUL JAISWAL
Date: 2026.03.26 11:20:32 IST
Reason: Judgement/Order
Location: Civil Judge (J.D.) Budhana, Mzn.

की शादी सावेज पुत्र हामिद निवासी मौ० नियर आलू गौदाम बुढाना रोड खतौली जिला मु०नगर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनाक 04.04.2021 को प्रार्थीया के पिता के निवास स्थान पर सम्पन्न हुई थी जिसमे प्रार्थीया के पिता ने लगभग 15 लाख रूपये खर्च किये थे प्रार्थीया के पिता ने शादी में 2 लाख रूपये नकद मोटर साईकिल सोने चाँदी के जैवरात व कीमती कपडा घर का शादी मे दिया था। शादी के 15 दिन माह बाद ही प्रार्थीया को पति सावेज, ससुर हामिद, जाहिद तायाससुर, अबुजर जेठ, साहिस्ता नन्द, शहनाज सास ने अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना शुरू कर दिया था उसकी सूचना प्रार्थीया ने अपने मायके में अपने पिता नफीस को दी थी इसके उपरान्त प्रार्थीया के पिता नफीस ने 40000 रूपये नकद, 10000/–रू० दस हजार रूपये प्रार्थीया के पति के खाते मे डाले थे इसके उपरान्त भी प्रार्थीया को प्रताडित करके मानसिक रूप से करते चले आ रहे थे परिणाम स्वरूप प्रार्थीया का दो बार गर्भपात भी हो चुका था । जिसकी बाबत प्रार्थीया की ससुराल में कई बार पंचायत होकर फैसला हुआ इसके बावजूद उपरोक्त सभी व्यक्ति प्रार्थीया को अतिरिक्त दहेज के मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते आ रहे थे आज से लगभग 4 माह पूर्व सभी व्यक्तियो ने एक राय होकर प्रार्थीया के साथ मारपीट कर पहने हुऐ कपडो में कार मे डालकर प्रार्थीया को जबरदस्ती बुढाना मे खतौली तिराहा पर जान से मारने की नियत से चुन्नी से गला घोट दिया तथा प्रार्थी को मरा समझकर छोडकर भाग गये थे जिसके चश्मदीद गवाह सनाउल्ला पुत्र फखरूल्ला व फिरोज पुत्र अय्यूब निवासी बुढाना प्रार्थीया को अपने साथ लेकर प्रार्थीया के घर पहुंचे और तमाम वाकात प्रार्थीया के पिता को बताया प्रार्थीया के पिता ने अपनी पुत्री का घर बसाने के लिए उसके ससुराल मे दो चार व्यक्तियों को लेकर गया था जहाँ पर प्रार्थीया के पति सावेज ससुर हामिद जाहिद तायाससुर अबुजर जेठ साहिस्ता नन्द शहनाज सास ने एक सुर मिलाते हुऐ कहा कि पांच लाख रूपये और एक चार पहिया गाडी दोगे तो आपकी पुत्री को रख लेगे नही तो हमारा पुत्र सावेज तलाक देने के लिए तैयार है। वाका दिनाक 05.10.2022 समय करीब साय 07.00 बजे का है कि प्रार्थीया के मायके वाले माता पिता भाई भाभी आदि सभी लोग दशहरा का मेला देखने के लिए कस्बा बुढाना मे ही गये हुऐ थे उसी समय प्रार्थीया के ससुराल वाले तमाम उपरोक्त व्यक्ति प्रार्थीया के घर मे घुस आये और प्रार्थीया से उपरोक्त अतिरिक्त दहेज की बाबत पूछताछ की प्रार्थीया ने अपने माता पिता की असमर्थता जताते हुऐ इन्कार कर दिया तो उपरोक्त व्यक्ति प्रार्थीया का जवाब सुनते ही एक दम आग बबूला हो गये और प्रार्थीया को गन्दी गन्दी गालिया देते हुऐ अभद्र भाषा का प्रयोग किया प्रार्थीया ने उपरोक्त

व्यक्तियो द्वारा किये जा रहे अभद्र व्यवहार का विरोध किया तो उपरोक्त व्यक्तियो ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की प्रार्थीया ने उपरोक्त वाकात की बाबत अपने माता पिता भाई बहन को फोन पर सूचना देने का प्रयास किया तो उपरोक्त व्यक्तियो ने प्रार्थीया का फोन छीनकर तोड दिया शोर शराबा सुनकर मौके पर बबलू त्यागी अपूर्ण आदि काफी लोग इक्टठा हो गये जिन्हे देखकर उपरोक्त सभी व्यक्ति भाग गये उपरोक्त व्यक्ति एक मुठमर्द एवं लालची किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थीया को न रखने और अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरी न करने से तीन तलाक की धमकी देकर गये है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीया की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त व्यक्तियो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में संबंधित थाना बुढाना में दर्ज मु०अ०सं०–8/2022 के आधार पर विवेचना हेतु आदेश हुए। बाद विवेचना विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक द्वारा अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज के विरुद्ध धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.04.2025 को अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज के विरुद्ध धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

5. अभियोजन की तरफ से दिनांक 03.05.2025 को पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा रुखसार पुत्री नफीस अंसारी पत्नी सावेज का साक्ष्य अंकित किया गया। उसके उपरांत दिनांक 21.05.2025 को पी०डब्लू०–2 नफीस पुत्र हकीमुद्दीन का साक्ष्य अंकित कराया गया। दिनांक 31.07.2025 को पी०डब्लू० 3 अनीस अहमद पुत्र हकीमुद्दीन व पी०डब्लू० 4 हासिम पुत्र नफीस का साक्ष्य अंकित कराया गया। बचाव पक्ष की तरफ से अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार किये जाने के कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर दिनांक 31.07.2025 को समाप्त करते हुए पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गई।

6. दिनांक 03.01.2026 को अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना कारित करने से इंकार किया तथा सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया तथा निर्दोष होने का अभिवाक् लिया।

7. इस संबंध में अभियोजन की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क देते हुए कहा कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा को ससुराल में प्रवास के दौरान अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया व उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा वादिया मुकदमा को गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की गई। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धारा 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध कारित किया गया। अतः अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाये।

8. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप झूठे हैं। अभियुक्तगण ने वादिया मुकदमा को ससुराल में प्रवास के दौरान अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया, ना ही उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा ना ही वादिया मुकदमा को गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी नहीं दी और न ही अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की। अभियुक्तगण को कतई झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

9. मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

10. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा को ससुराल में प्रवास के दौरान अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया व उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा वादिया मुकदमा

को गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की गई। यह तथ्य कि अभियुक्तगण ने उपरोक्त अधिरोपित अपराध कारित किया है, साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

11. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये इन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101, 102 व 103 का अवलोकन करना महत्वपूर्ण है–

101 सबूत का भार– जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

102 सबूत का भार किस पर होता है– किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए।

103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार– किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करें, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

12. अतः यह साबित करने का भार अभियोजन पर है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा को ससुराल में प्रवास के दौरान अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया व उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा वादिया मुकदमा को गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की गई। यह तथ्य कि अभियुक्तगण ने

उपरोक्त अधिरोपित अपराध कारित किया है, उक्त तथ्यों को अभियोजन की तरफ से मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया जाना है।

13. **Rangbahadur singh v. State of U.P., A.I.R 2000 SC 1209** के मामले में मा० उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि, "The time tested rule is that acquittal of a guilty person should be preferred to the conviction of an innocent person. Unless the prosecution establishes the guilt of the accused beyond reasonable doubt. A conviction cannot be passed on the accused. A criminal court cannot afford to deprive liberty of the appellants, lifelong liberty, without having atleast a reasonable level of certainity that the appellants were the real culprits." उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।

14. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा रुखसार पुत्री नफीस अंसारी पत्नी सावेज द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये हैं कि "मैं कक्षा 10 तक पढी हूँ। मेरी शादी दिनांक 04.04.2021 को सावेज के साथ सम्पन्न हुई थी जिसमें मेरे पिता ने लगभग 15 लाख रुपये खर्च किये थे। जिसमें दो लाख नकद, मोटरसाइकिल, सोने–चांदी के जेवरात तथा कीमती कपडे शादी के लगभग 15 दिन बाद ही मेरी ससुराल वाले जिसमें मेरे पति सावेज, ससुर हामिद, सास शहनाज शादी में दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे। दहेज की मांग करने लगे तथा दहेज के लिए मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। उक्त लोगों ने मेरे साथ मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी तथा पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहियों की गाडी की मांग करते थे। घटना के संबंध में एक टाईपशुदा तहरीर थाना महिला थाना बुढाना पर दी गई जो शामिल मिसल है। उस पर मेरे हस्ताक्षर है, तस्दीक करती हूँ। **प्रदर्श क–1** डाला गया।

15. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा रुखसार पुत्री नफीस अंसारी पत्नी सावेज से की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि "मेरा मेरे पति के साथ कुछ बातों को लेकर मनमुटाव रहता था। जिसके चलते मैं अपने मायके में आकर

रहने लगी थी। मेरे परिवारवालो व रिश्तेदारों के समझाने पर भी हमारे बीच मतभेद बने रहे। उसके बाद हम दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया था। परिवार वालो के कहने से एक टाईपशुदा तहरीर जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, कराकर थाने पर दी थी। तहरीर में क्या लिखा था, मुझे पढकर नहीं सुनाया था। हाजिर अदालत मुल्जिमान हामिद व अन्य सावेज व शहनाज ने कभी भी दहेज की मांग को लेकर मेरे साथ मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। न ही कभी दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया था।

16. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०– 1 वादिया मुकदमा रुखसार पुत्री नफीस अंसारी पत्नी सावेज से की गई पुनः प्रतिपरीक्षा में "गवाह को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, जिसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकती। यह सही है कि हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने या किसी लालचवश मैं आज झूठे बयान दे रही हूँ।

17. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 नफीस पुत्र हकीमुद्दीन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि "मेरी बेटी का निकाह सावेज के साथ दिनांक 04.04.2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही मेरी बेटी रुखसार व उसके पति के बीच कुछ बातों को लेकर मनमुटाव रहने लगा जिसके चलते मेरी बेटी मेरे घर आ गई थी। रिश्तेदारों व पडोसियों ने अब दोनों के बीच फैसला करा दिया है। हाजिर अदालत मुल्जिमान हामिद व अन्य मुल्जिमान सावेज व शहनाज ने मेरी बेटी को दहेज के लिए कभी भी मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। न ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया था। अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

18. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 नफीस पुत्र हकीमुद्दीन से की गई प्रतिपरीक्षा में "गवाह को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया।

यह कहना सही है कि दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण मैं झूठे बयान दे रहा हूँ।

19. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 अनीस अहमद पुत्र हकीमुद्दीन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि "रुखसार मेरी भतीजी है जिसकी शादी वर्ष 2021 में सावेज के साथ सम्पन्न हुई थी जिसमें मेरे भाई ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किये थे। सभी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद मेरी भतीजी रुखसार अपनी ससुराल वालो के बीच वैचारिक मतभेद हो गये थे। उसे काफी दूर करने का प्रयास किया गया। अंत में पृथक–पृथक रहने का फैसला हो गया है। सावेज, हामिद, शहनाज ने मेरी भतीजी रुखसार के साथ कभी भी न तो मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी थी, न ही अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित किया था। न ही कभी दहेज मांगा। अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

20. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०– 3 अनीस अहमद पुत्र हकीमुद्दीन से की गई प्रतिपरीक्षा में "गवाह को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण मैं आज झूठे बयान दे रहा हूँ।

21. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 हासिम पुत्र नफीस द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि "मेरी बहन रुखसार की शादी वर्ष 2021 में सावेज निवासी खतौली के साथ हुई थी। शादी में मेरे पिता द्वारा 15 लाख रुपये के करीब खर्च किये थे। सभी घरेलू सामान व अन्य सामान दिया था। शादी के कुछ समय बाद रुखसार व उसकी ससुराल वालो के बीच वैचारिक मतभेद के चलते रुखसार अपने मायके आ गई थी। परिवार वालो, रिश्तेदारों ने मिल–जुलकर दोनों के बीच फैसला किया है। अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज ने कभी भी रुखसार को दहेज की मांग को लेकर गाली–गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताडित किया था। यह

सही है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है। यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण मैं आज झूठे बयान दे रहा हूँ।

22. **मंगू सिंह बनाम धर्मेंद्र 2016 जै०आई०सी० 631 (उच्चतम न्यायालय)** के मामले में मा० उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि दाण्डिक परीक्षण में बचाव में संभावनाएं ही स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जबकि अभियोजन द्वारा अपने कथन को संदेह सीमा से बाहर सिद्ध किये जाने चाहिए।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **राजस्थान राज्य बनाम शीषपाल ए०आई०आर० 2016 पेज 4958** एवं **खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 (1) जे०आई०सी० पेज 207 एस०सी०** में अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक विधिशास्त्र का ये मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्कसंगतपूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और ये भार कभी भी नहीं बदलता।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **दिगम्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ राज्य 2019 (2) सी०सी०एस०सी० 1047 एस०सी० (3 जजेज बैंच)** में ये अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों में से एक अप्रत्याख्यामित रूप से यही है कि सबूत का भार सुस्पष्ट रूप से अभियोजन पर होता है और यह कि सामान्य आधार कभी भी अंतरित नहीं होता। अनुमानों एवं अटकलबाजियों पर या संदेह के आधार पर वह चाहे कितना घोर हो कोई दोषसिद्ध नहीं हो सकता। ठोस संदिग्धता, ठोस सहआनुषांगिकता एवं घोर संदेह विधिक सबूत का स्थान नहीं हो सकते। अभियोजन का भार निर्वहन ठोस संदिग्धता एवं अभियुक्त को अपराध में आलिप्त करने के लिए अत्यधिक संदेहास्पद कारकों को विद्यमानता का संदर्भ देकर नहीं किया जा सकता और न ही प्रतिरक्षा का मिथ्यापन उस सबूत का स्थान ले सकता है, जिसे अभियोजन को सफल करने के लिए साबित करना है।

25. अभियोजन की तरफ से अपने कथानक को साबित करने हेतू 04 साक्षीगणों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा रुखसार पुत्री नफीस अंसारी पत्नी सावेज ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि **"मेरा मेरे पति के साथ कुछ बातों को लेकर मनमुटाव रहता था। जिसके चलते मैं अपने मायके में आकर रहने लगी थी। मेरे परिवारवालो व रिश्तेदारों के समझाने पर भी हमारे बीच मतभेद बने रहे। उसके बाद हम दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया था। परिवार वालो के कहने से एक टाईपशुदा तहरीर जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, कराकर थाने पर दी थी। तहरीर में क्या लिखा था, मुझे पढकर नहीं सुनाया था। हाजिर अदालत मुल्जिमान हामिद व अन्य सावेज व शहनाज ने कभी भी दहेज की मांग को लेकर मेरे साथ मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। न ही कभी दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया था।**

26. साक्षी पी0 डब्लू0 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा कथन किया कि **"मेरी बेटी का निकाह सावेज के साथ दिनांक 04.04.2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही मेरी बेटी रुखसार व उसके पति के बीच कुछ बातों को लेकर मनमुटाव रहने लगा जिसके चलते मेरी बेटी मेरे घर आ गई थी। रिश्तेदारों व पडोसियों ने अब दोनों के बीच फैसला करा दिया है। हाजिर अदालत मुल्जिमान हामिद व अन्य मुल्जिमान सावेज व शहनाज ने मेरी बेटी को दहेज के लिए कभी भी मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। न ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया था।** इसी प्रकार, साक्षी पी०डब्लू० 3 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा कथन किया कि **"रुखसार मेरी भतीजी है जिसकी शादी वर्ष 2021 में सावेज के साथ सम्पन्न हुई थी जिसमें मेरे भाई ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किये थे। सभी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद मेरी भतीजी रुखसार अपनी ससुराल वालो के बीच वैचारिक मतभेद हो गये थे। उसे काफी दूर करने का प्रयास किया गया। अंत में पृथक–पृथक रहने का फैसला हो गया है। सावेज, हामिद, शहनाज ने मेरी भतीजी रुखसार के साथ कभी भी न तो मारपीट, गाली–गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी थी, न ही अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित किया था। न ही कभी दहेज मांगा।** साक्षी पी०डब्लू० 4 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा कथन किया

कि **"मेरी बहन रुखसार की शादी वर्ष 2021 में सावेज निवासी खतौली के साथ हुई थी। शादी में मेरे पिता द्वारा 15 लाख रुपये के करीब खर्च किये थे। सभी घरेलू सामान व अन्य सामान दिया था। शादी के कुछ समय बाद रुखसार व उसकी ससुराल वालो के बीच वैचारिक मतभेद के चलते रुखसार अपने मायके आ गई थी। परिवार वालो, रिश्तेदारों ने मिल–जुलकर दोनों के बीच फैसला किया है। अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज ने कभी भी रुखसार को दहेज की मांग को लेकर गाली–गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। न ही अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताडित किया था। यह सही है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है। यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण मैं आज झूठे बयान दे रहा हूँ।** सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षीगणों से की गई पुनः प्रतिपरीक्षा में साक्षीगणों के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो। अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षीगणों के बयानों के अवलोकन से अभियोजन कथानक संदिग्ध व अविश्वसनीय प्रतीत होता है। साक्षीगणों के बयानों के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्तियक्त संदेह से परे साबित नही माना जा सकता है।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य ए 0 आई 0 आर 0 2001 पेज 3678** में अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह अपना केश निश्चित्ता के संदेह से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये संदेह का लाभ अभियुक्त पाने के हकदार है।

28. उपरोक्त विश्लेषण, सम्मानित विधिक निर्णय में प्रतिवादित सिद्धांतों व अभियोजन पक्ष के प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा को ससुराल में प्रवास के दौरान अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया व उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा वादिया मुकदमा को गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की गई, इस संबंध में अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

29. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांत तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व मौखिक साक्ष्यों से

अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा को ससुराल में प्रवास के दौरान अतिरिक्त दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया व उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई तथा वादिया मुकदमा को गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये नकद व एक चार पहिया गाडी की मांग की गई।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **शंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0 आई0 आर0 2018 एस0 सी0 पेज 130** में अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन साक्षी के बयान में विरोधाभास से शंका उत्पन्न होती है तो उन विसंगतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **सुधाकर उर्फ सुदर्शन बनाम तमिलनाडू राज्य ए0 आई0 आर0 2018 एस0 सी0 पेज 137** में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्षीगण के बयानों में इतना अत्यधिक अंतरविरोध है कि वह घटना के घटित होने में पूरी तरह से शंका उत्पन्न करते है तथा अभियोजन के मामले को जड़ तक प्रभावित करते है तो ऐसे अंतरविरोध को न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।

32. **अरूलवैल्यू एवं अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि लोक अभियोजक 2009 (6) सु0 को0 756** के मामले में अवधारित किया गया है कि अभियुक्त को इस आधार पर दोषसिद्व नही किया जा सकता कि सभी सम्भावनाओ में अभियुक्त ने अपराध किया होगा। इसी प्रकार **अनिल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (1) ए0 आई0 आर0 411 (उच्चतम न्या0),** के मामलो में भी अवधारित किया गया है कि साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन से सन्देह भले ही प्रबल हो वह प्रमाण का स्थान नही ले सकता।

33. माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर **परमजीत सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड ए0 आई0 आर0 2011 एस सी 200,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गय आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है और यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जाता है, तो उन परिस्थितियों का लाभ अभियुक्तगण को जाएगा।

34. **OUSEPH V. STATE OF KERALA, 2004 (4) SCC 446** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि "in criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the defendant's guilt , and they must do it beyond a reasonable doubt. The Plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. If the prosecution fails to prove the accused guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal."

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Nallapati Sivaiash V– Sub Divisional Officer, Guntur Reported As Viii (2007) Slt 454 (Sc)** में व्यक्त किया है कि Þthe onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt– It is also a cardinal principle of criminal jurisprudence that if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused is entitled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

36. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि इस अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। निष्कर्षतया अभियुक्तगण को अभियोजन पक्ष के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्तगण सावेज, हामिद व शहनाज को फौ० मु०सं० 447/2025, मु०अ०सं० 8/2022, अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण जमानत पर है। जमानत बन्धपत्रों को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 20,000 रूपयों का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू धारा 437–ए0 द0प्र0सं0 के अधीन दाखिल करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर अपील की नोटिस प्राप्त होने पर अभियुक्तगण स्वतः अपीलिय न्यायालय

के समक्ष उपस्थित होगें। यह बन्धपत्र 06 माह तक प्रभावी रहेंगे, तदोपरान्त जमानतें निरस्त समझी जायेंगी एवं प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित माना जायेगा।

दिनांकः–19.03.2026

(राहुल जायसवाल)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुढाना, मुजफफरनगर
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3601

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः– 19.03.2026

(राहुल जायसवाल)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुढाना, मुजफफरनगर
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3601